RNI No. : UPHIN-2009/29369

डाक पंजीकरण : KANPUR HO/002/2022-24
प्रधान डाकघर कानपुर-डाक प्रेषण दिनांक 29/30

वार्षिक सदस्यता शुल्क 100/-

द्रविड़ भारत

www.dbindia.org.in

सामाजिक परिवर्तन का मासिक पत्र

गौतम बुद्ध

बाबा साहेब डा0 अम्बेडकर

अप्रैल-2022 | वर्ष - 14 | अंक : 03 | मूल्य : 5/-

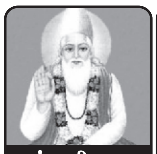

संत कबीर दास

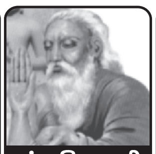

संत रविदास जी

घासीदास

बिरसामुण्डा

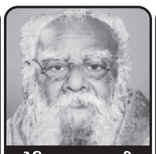

पेरियार रामास्वामी

छत्रपति शाहूजी महाराज

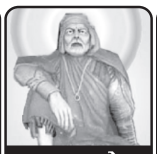

सन्त गाडगे

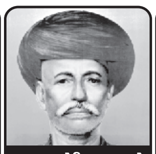

महात्मा ज्योतिबा राव फुले

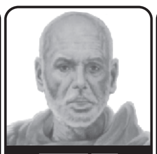

नारायण गुरु

सावित्री बाई फुले

बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर / कांशीराम

सम्पादकीय

RNI No. : UPHIN-2009/29369

संपादक : उमेश्वरी देवी, मो.: 9005204074
संरक्षक मण्डल : मा. रामदीन अहिरवार (महोबा), मा. राम अवतार चौधरी (सहा.अभि. जलकल विभाग), मा. छविलाल वर्मा (चरखारी), मा. हरिनाथ राम (दिल्ली), मनीष कुमार मो. 9415053621
राज्य ब्यूरो प्रमुख उत्तर प्रदेश :
सुनील कुमार, ढेलवा, गाजीपुर (उ.प्र.),
मो.: 9935363730, 9170836363
योगेन्द्र कुमार (ब्यूरो चीफ चित्रकूट मण्डल)
मो.: 8299162841
क्षेत्रीय सम्पादकीय कार्यालय :
40/69, डी-5, श्यामलाल का हाता, परेड, कानपुर (उ.प्र.), मो. : 8756157631
ब्यूरो प्रमुख कानपुर मण्डल :
पुष्पेन्द्र गौतम, मल्हौसी, औरेया, उ.प्र.
मो.: 9456207206
हरियाणा राज्य :
डा. रमेश रंगा, ग्राम-सराय, औरंगाबाद, पो.-बहादुरगढ़,जिला-झज्जर (हरियाणा),09416347052
कानूनी सलाहकार : एड. रामप्रकाश अहिरवार, एड. यू.के. यादव, मोती लाल वर्मा, एड. विजय बहादुर सिंह राजपूत, एड. रमाकान्त धुरिया, सुशील कुमार, कानपुर
मध्य प्रदेश राज्य : पुष्पेन्द्र कुमार
कार्यालय : ग्रा. व पो.-रामटौरिया, जिला-छतरपुर
छत्तीसगढ़ राज्य :
दिलीप कुमार कोसले, मो. : 09424168170
दिल्ली प्रदेश : C/o अनिल कुमार कनौजिया C-260, हर्ष विहार, हरिनगर एक्सटेंशन पार्ट-III, बदरपुर, नई दिल्ली-44, मो. : 09540552317
राजस्थान राज्य : रघुनाथ बौद्ध, श्याम रघु फुट वियर, दुकान नं.-1, गणेश मार्केट, पुलिस चौकी के सामने, अलवर, जिला-अलवर-301001,
मो. : 09887512360, 0144-3201516
चिरंजीलाल बैरवा (व्यावस्थापक) मेहरा आदर्श विद्या मन्दिर, भीम नगर कालोनी, राज भट्टा, दिल्ली रोड, अलवर, जिला-अलवर, मो.-09829855349
बाबूलाल बौद्ध, अलवर, मो.-08058198233
संपादकीय/विज्ञापन प्रसार/पंजीकृत कार्यालय :
ग्रा व पो.-रिवई (सुनैचा), जिला-महोबा (उ.प्र.)
मो. : 9005204074, 8756157631
E-mail : dravinbharat1@gmail.com

प्रकाशक, मुद्रक एवं स्वामी
उमेश्वरी देवी द्वारा ग्रा. व पो.-रिवई (सुनैचा), जिला महोबा से प्रकाशित व श्रेय ऑफसेट प्रा. लि., 109/406, नेहरू नगर, कानपुर, 84/1, बी, फजलगंज, कानपुर से मुद्रित

प्रकाशित पत्रिका में प्रकाशित लेख, सामग्री, में संपादक की सहमति अनिवार्य नहीं है। इसमें किसी भी प्रकार का दावा या विचार मान्य नहीं होगा। लेख के विवादित होने पर लेखक ही उत्तरदायी होगा समस्त विवादों का निपटारा महोबा न्यायालय में होगा पत्रिका का संपादन एवं संचालन पूर्णतयः अवैतनिक एवं अव्यवसायिक है।

मिशन को बढ़ाने के लिए सहयोग करें -
भारतीय स्टेट बैंक, शाखा-पी.पी.एन. मार्केट, कानपुर
खाता सं.-33496621020 • IFSC CODE-SBIN0001784

विभूति बोधिसत्व डॉ. भीमराव अम्बेडकर

पूरा नाम : डॉ. भीमराव अम्बेडकर
जन्मतिथि : 14 अप्रैल, 1891
मृत्युतिथि : 6 दिसम्बर, 1956, दिल्ली में
पिता का नाम : रामजी सकपाल
माता का नाम : भीमाबाई
जन्मस्थान : मऊ छावनी (मध्य प्रदेश)

अपने बचपन से ही भूख-प्यास, अपमान - अन्याय, अत्याचार-अनाचार और सामाजिक विभीषिकाओं की त्रासदी झेलते हुए और अपने कठोरतम परिश्रम, त्याग, बलिदान एवं लगन के बल पर जिन महापुरूषों ने समय-समय पर भारत के गौरवमय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों में अपने-अपने अध्याय जोड़ते हुए नये आयाम-नई दिशाएं सुस्थापित की हैं, उनमें 'भारत-रत्न' बोधिसत्व बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर का नाम प्रमुख है।

यद्यपि डॉ. अम्बेडकर को दलितों के मसीहा तथा भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पी के रूप में ही जाना जाता है, तथापि एक महान राष्ट्रीय एवं सामाजिक चिन्तक, लेखक, पत्रकार, अर्थशास्त्री, धर्मशास्त्री, निपुण राजनीतिज्ञ एवं संविधान विशेषज्ञ, ओजस्वी वक्ता, अभिवक्ता विधिवेत्ता, प्राध्यापक, राजनेता, कुशल प्रशासक, नारी उद्धारक, बौद्ध धर्म का पुनरोद्धारक और मानवतावादी के रूप में भी उनकी सेवाओं ने जो इतिहास रचा है, वह अजर-अमिट है। जो लोग उन्हे मात्र अपने तक सीमित रखना चाहते हैं वे वास्तव मे बाबा साहेब के साथ घोर अन्याय ही करते हैं। ऐसा कदाचित इसलिए भी किया जाता है, क्योकि वे सब उनकी विलक्षण प्रतिभा तथा बहुआयामी देशसेवा से निश्चय ही पूर्णतः परिचित नहीं हैं। पूज्य बाबा साहेब के महान व्यक्तित्व एवं कृतित्व को वर्ग एवं समुदाय विशेष तक सीमित नहीं किया जा सकता है। वे मात्र एक राजनेता ही नहीं, बल्कि महापुरूष भी थे। वे एक महान राष्ट्रवादी देशभक्त, मानवतावादी, सामाजिक क्रान्ति के अग्रदूत, दलित मानवता के उत्थानकर्ता, समत्व के प्रतीक, जुझारू व्यक्ति और आधुनिक भारत के निर्माताओ मे से एक महान व्यक्ति थे।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के मऊ छावनी में 14 अप्रैल, 1891 को महार जाति में हुआ था। उनके पिता का नाम रामजी सकपाल तथा माता का नाम भीमाबाई था। अछूत परिवार में जन्म लेने के कारण उन्हें बालावस्था से ही अपनी सामाजिक स्थिति का बोध होने लगा था। अपने पिता तथा बड़े भाई के संरक्षण एवं मार्गदर्शन से ही मेधावी बालक भीमराव ने अपनी तथा अपने जैसे लोगों की स्थिति को सुधारने हेतु भारी संघर्ष द्वारा जो अर्जित किया, उसे संक्षेप में व्यक्त करना संभव नहीं है। फिर भी उनके जुझारू एवं यशस्वी जीवन का ब्यौरा इस प्रकार है :-

डा0 अम्बेडकर एक दृष्टि में -

- 14 अप्रैल, 1891 : सूबेदार रामजी सकपाल एवं श्रीमती भीमाबाई की 14वीं संतान के रूप मे, मध्य प्रदेश की महू छावनी मे जन्म।
- नवम्बर, 1900 : गवर्नमेंट वर्नाकूलर हाईस्कूल, सतारा में प्रवेश।
- जनवरी, 1908 : मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण।
- जनवरी, 1913 : बी.ए. उत्तीर्ण।
- जुलाई, 1913 : न्यूयार्क विश्वविद्यालय, मे प्रवेश हेतु गायकवाड़ छात्रवृत्ति प्राप्त
- 1915 : एम.ए. उत्तीर्ण।
- 1916 : 'नेशनल डिविडेन्ट ऑफ इण्डिया' पर पी.एच.डी.।
- 1917 - कोलम्बिया विश्वविद्यालय से पी.एच.डी प्राप्त।
- जून 1917 ' महाराजा बड़ौदा (गायकवाड़) के सैन्य सचिव नियुक्त।
- नवम्बर, 1918 : हैडनहम कॉलेज ऑफ कामर्स एण्ड इकोनोमिक्स, बम्बई मे पालिटिकल इकोनोमी के प्राध्यापक नियुक्त।
- जनवरी, 1920 : मराठी साप्ताहिक 'मूकनायक' का प्रकाशन।
- जून, 1923 : हाईकोर्ट आफॅ ज्यूडी केचर, बम्बई में वकालत शुरू।
- जुलाई, 1924 : दलितो के उन्नयन हेतु 'बहिष्कृत हितकारिणी सभा' की स्थापना।
- मार्च, 1927 : चावदार तालाब पर अछूतों को अधिकार दिलाने हेतु महाड़ मे सत्याग्रह
- अप्रैल, 1927 : पाक्षिक 'बहिष्कृत भारत' का प्रकाशन
- जून, 1928 : 'गवर्नमेट लॉ कालेज, बम्बई में लॉ के प्रोफेसर नियुक्त।
- मार्च, 1930 : नासिक के कालाराम मंदिर मे अछूतो को प्रवेशाधिकार दिलाने हेतु सत्याग्रह।
- दिसम्बर, 1930 साप्ताहिक 'जनता' का प्रकाशन
- 1932 : लंदन की 'गोलमेज सभा' के प्रतिनिधि नियुक्त।
- सितम्बर, 1932 ' रैमजे मैकडोनल्ड के कम्युनल एवार्ड मे अछूतों के पृथक निर्वाचन को त्याग कर महात्मा गांधी के साथ 'पूना पैक्ट' पर हस्ताक्षर, संयुक्त निर्वाचन स्वीकार।
- 1932-33 : इण्डिया कॉन्सटीट्यूशन रिफार्म' कमेटी के सदस्य मनोनीत
- जून, 1935 : गर्वनमेट लॉ कालेज, बम्बई के

प्राचार्य नियुक्त।

- सितम्बर, 1935 : नासिक जिले के 'वाला' में 'हिन्दू धर्म' त्यागने की घोषणा।
- अगस्त, 1936 : 'इन्डीपेन्डेन्ट लेबर पार्टी' की स्थापनां।
- जनवरी, 1937 : बम्बई लेजिस्लेटिव एसेम्बली के सदस्य निर्वाचित।
- अप्रैल, 1942 : 'आल इण्डिया शैड्यूल कास्ट्रस फेडरेशन' की स्थापना।
- जुलाई, 1942 : गर्वनर जनरल ऑफ इण्डिया की कार्यकारिणी परिषद् में श्रम मंत्री मनोनीत।
- अप्रैल 1945 : 'पीपुल्स एजूकेशन सोसाइटी' की स्थापना।
- 1947 : भारत के संविधान की 'ड्राफिटंग कमेटी' मे नियुक्ति।
- 1947 : नेहरू मंत्रिमण्डल में विधि मंत्री नियुक्त।
- नवम्बर 1948 : भारत के संविधान की 'ड्राफिटंग कमेटी' के अध्यक्ष के रूप में संविधान असेम्बली का मसवदा पेश।
- सितम्बर 1951 : 'हिन्दू कोड बिल' तथा अन्य मतभेदों के कारण 'नेहरू मन्त्रिमण्डल' से त्यागपत्र।
- मई 1952 : राज्यसभा की सदस्यता।
- अक्टूबर 1956 : नागपुर बौद्ध सम्मेलन में बौद्ध धर्म की दीक्षा।
- 6 दिसम्बर, 1956 : दिल्ली में अलीपुर रोड स्थित अपने निवास पर महा प्रयाण।

प्रमुख कृतियाँ एवं रचनाकाल

1. कास्ट इन इण्डिया (1916)
2. स्मॉल होल्डिंग्स इन इण्डिया एण्ड देयर रेमेडीज (1918)
3. द प्राब्लम ऑफ रूपी (1923)
4. एनिहिलेशन ऑफ कास्ट (1935)
5. फेडरेशन वर्सेज फ्रीडम (1939)
6. रानाडे, गांधी एवं जिन्ना (1943)
7. कम्यूनल डेडलॉक एण्ड वे टू साल्व इट
8. व्हाट कांग्रेस एण्ड गांधी हैव डन टू अनटचेबल्स (1945)
9. पाकिस्तान एण्ड पार्टीशन आफॅ इण्डिया (1945)
10. स्टेट्स एण्ड माइनारिटीज (1947)
11. हिस्ट्री आफॅ इण्डियन करेन्सी एण्ड बैंकिंग (1947)
12. महाराष्ट्र ऐज ए लिंग्विस्टिक स्टेट (1948)
13. द अनटचेबल्स (1948)
14. थॉट्स ऑन लिग्विस्टिक स्टेट्स (1953)
15. हू वेयर शूद्राज ? (1954)
16. राइज एण्ड फाल ऑफ हिन्दू वूमेन
17. गोस्पेल ऑफ बुद्धिज्म
18. बुद्ध एण्ड हिज धम्म

जाति और संविधान

यह प्रश्न न्यायसंगत है कि अछूतों की मांगों को संविधान में क्यों शामिल किया जाए ? विश्व में कहीं भी संविधान निर्माताओं के समक्ष यह विवशता नहीं थीं कि वे ऐसे मामलों को देखें। मैं मानता हूं कि यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और जो इस प्रश्न को उठा रहे हैं या इस बात पर जोर दे रहे हैं कि इसका संवैधानिक महत्व है, इसके उत्तर की उनसे ही अपेक्षा है। मेरी दृष्टि में इसका उत्तर स्वाभाविक है।भारत की सामाजिक व्यवस्था से ही यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि इसका संवैधानिक महत्व है। केवल हिन्दुओं की जाति प्रथा और सामाजिक व्यवस्था ही इसके लिए उत्तरदायी है। विदेशियों के समक्ष यथोचित व्याख्या के लिए हिन्दू – समाज और धर्म – व्यवस्था के फलितार्थ बताने के लिए यह संक्षिप्त वक्तव्य पर्याप्त नहीं है बल्कि यह भी सत्य है कि इस रिपोर्ट की सीमित परिधि में यह बताना असम्भव है कि जाति प्रथा के संविधान में क्या फलितार्थ होंगे। मैं जातियों के उन्मूलन सम्बन्धी अपनी पुस्तक में इस पर पूरी तरह प्रकाश डालूंगा, जिसे मैंने कुछ दिन पूर्व लिखा है। मुझे विश्वास है कि इससे हिन्दुओं की जाति और धार्मिक व्यवस्था के सामाजिक और आर्थिक पक्ष पर काफी प्रभाव डाला गया है। इस प्रबन्ध लेख में मैं संक्षेप में निम्नांकित सामान्य जानकारी ही पेश करूंगा। संविधान की रचना में सामाजिक ढांचे का सदैव ध्यान रखना होता है। सामाजिक तत्वों की सक्रियता केवल सामाजिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रहती। वे राजनीति में भी घुस जाते हैं। अछूतों का यही विचार है और मुझे विश्वास है कि यह तथ्य निर्विवाद है। हिन्दू इस दलील और इसकी प्रबलता से पूरी तरह अवगत हैं। परन्तु वे इस बात से मुकर जाएंगे कि हिन्दू समाज व्यवस्था यूरोपीयन समाज व्यवस्था से भिन्न है। वे इस तर्क का उत्तर देने के लिए यह कहेंगे कि हिन्दूओं की जाति प्रथा और पश्चिमी समाज की वर्ग व्यवस्था के बीच कोई भेद नहीं है। यह वास्तव में सफेद झूठ है और वे फिर भी यह साबित कर देंगे कि वे वर्ग व्यवस्था और जाति व्यवस्था का भेद ही नहीं जानते। जाति प्रथा का मूल है विलगाव और इसमें एक जाति को दूसरी जाति से भिन्न माना जाता है। दूसरे समाजों की व्यवस्था में विभाजन गुणात्मक है। वर्ग प्रणाली में भी भिन्नता का स्थान है किन्तु वह किसी वर्ग के कार्यो को जन्म–जन्मांतर के लिए तय करने के लिए नहीं है और न ही उसमें सामाजिक मेल – मिलाप पर कोई प्रतिबन्ध होता है। वर्ग व्यवस्था श्रेणियों के सही विभाजन की व्यवस्था है। जाति व्यवस्था ऐसी नहीं है। वर्ग व्यवस्था में वर्गो का सामाजिक रूप से विभाजन नहीं होता जबकि जाति प्रथा में भिन्न – भिन्न जातियों के बीच निर्धारित परस्पर सम्बन्ध निश्चित रूप से अनिवार्य और अविनाशी होते हैं, जो पक्के तौर पर असामाजिक है। यदि वह विश्लेषण सही है, तो इस तथ्य से भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि हिन्दू समाज व्यवस्था का स्वरूप भिन्न है, तो इसका परिणाम यही होगा कि हमारा राजनीतिक स्वरूप भी भिन्न होना चाहिए। अछूतों की कामना यही है, उसे सीधे शब्दों में इस प्रकार कहा जा सकता है, कि साधन और साध्य में समन्वय होना चाहिए और साध्य एक ही होना चाहिए। यदि साध्य एक भी हो तो यह आवश्यक नहीं कि उसे प्राप्त करने के साधन भी सामान होंगे। दरअसल साध्य एक ही होने पर भी काल और परिस्थिति के अनुकूल साधनों में भिन्नता भी हो सकती है। जिनके साध्य शुभ हैं और वे चाहते हैं कि उनका साध्य फूहड़ न कहलाए तो उन्हें दूसरे साधन अपनाने होंगे।

इस सम्बन्ध में एक और बात का उल्लेख करना चाहूंगा। जैसा कि मैंने कहा, हिन्दुओं की जाति व्यवस्था को देखते हुए यह आवश्यक है कि यहां की राजनीतिक व्यवस्था भिन्न होनी चाहिए और वह सामाजिक ढांचे के अनुरूप निर्धारित हो। बहुत से लोग इसे स्वीकार करते हैं परन्तु तर्क देते हैं कि हिन्दू समाज में जातियाँ तोड़ी जा सकती हैं। मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता। जो यह कहते हैं वे सोचते हैं कि जाति कोई ऐसी संस्था है जैसे क्लब, नगरपालिका या काउंटी कौंसिल; यह एक बड़ी भूल है। जाति धर्म और धर्म संस्था के सिवाय कुछ भी हो सकता है। यह संस्थाकृत है परन्तु जैसी इसकी रचना है, उसके परिप्रेक्ष्य में ऐसी कोई संस्था नहीं है। धर्म एक प्रवाह या ऐसी शक्ति है, जो हर व्यक्ति में रचा बसा है और वयक्ति के चरित्र को प्रभावित करता है और उसके कार्य, व्यवहार और पसन्द – नापसन्द को निर्धारित करता है। ये पसन्द – नापसन्द, कार्य और व्यवहार ऐसी संस्था नहीं हो सकते, जिन पर कोई और रंग चढ़ सके। सीधे शब्दों में यह 'काली कमली' है। यह ऐसी शक्ति है, ऐसा प्रवाह है, जिसे नियंत्रित करने के लिए उसकी काट भी होनी चाहिए। यदि सामाजिक तत्वों का राजनीति में घालमेल रोकना है और मुट्ठी भर लोगों के वर्चस्व पर नियन्त्रण रखना है, बहुत से लोगों को हेयता की पीड़ा से बचाना है, तो यह आवश्यक है कि राजनीतिक संरचना ऐसी हो जो सामाजिक तत्वों के सम्भावित पूर्वाग्रहों को लगाम दे सके, अन्याय को रोक सके।

अब तक मैंने सामान्य रूप से यह स्पष्ट किया है कि विशिष्ट प्रकृति वाले हिन्दू समाज के लिए एक विशिष्ट प्रकृति को राजनीतिक व्यवस्था की क्यों आवश्यकता है, और भारत के संविधान – निर्माता इन समस्याओं को अनदेखी क्यों नहीं कर सकते, जैसी समस्याएं अन्य देशों के संविधान निर्माताओं को दरपेश नहीं होती। अब मैं विशिष्ट प्रश्न पर आता हूं कि भारतीय संविधान में सांप्रदायिक योजना को शामिल करना क्यों आवश्यक है और अछूतों के लिए सरकारी सेवाओं में स्थान क्यों आरक्षित किए जाएं और उनके लिए पृथक अवसर क्यों आवश्यक है। इन मांगों का औचित्य सहज और स्वाभाविक है। यह बात इस निर्विवाद तथ्य से उत्पन्न होती है कि इसी कारण हिन्दूओं से अछूतों को अलग कर दिया गया है और वह भेदभाव अनावश्यक है। यह जन्मजात कटुता और तिरस्कार का मामला है। इस तिरस्कार और कटुता के लिए किसी साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है। चिरंतन अस्पृश्यता का व्यवहार हिन्दुओं और अछुतों के बीच कटुता का पर्याप्त साक्ष्य है। ऐसी कटुता देखते हुए यह असम्भव है कि अछूतों से कहा जाए कि वे इस बात पर विश्वास कर लें कि अंग्रेजों से स्वतन्त्रता और स्वाधीनता मिलने के बाद हिन्दू उनके साथ न्याय करेंगे। जब अछूत यह कहते हैं कि वे हिन्दुओं पर विश्वास नहीं करते तो कौन कह सकता है कि यह कोई गलत कथन है। हिन्दू उनके लिए उतना ही पराया है, जितना कोई यूरोपवासी बल्कि उससे भी बदतर बात तो यह है कि यूरोप वाले पराए होकर तटस्थ तो हैं हिन्दू तो निर्लज्जता से अपने वर्ग का पक्ष – पोषक है और अछूतों के प्रति दंभ रखता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि युगों – युगों से हिन्दुओं ने अछूतों को तिरस्कृत और अपमानित किया है, क्योंकि वह एक अलग और घृणित वर्ग का है बेशक वह दूसरी नस्ल का न भी हो। अपनी मान्यताओं के अनुरूप हिन्दू अपने को अतिविशिष्ट वर्ग मानता है। वह अपने पूर्वाग्रहों के कारण अछूतों की आकांक्षाओं का कभी ध्यान नहीं रखता। उनसे वह कोई सम्बन्ध नहीं रखना चाहता और उनके हितों का विरोधी है। ऐसे लोगों के साथ अछूत क्यों बंधे रहें ? अछूतों से यह कैसे कहा जा सकता है कि वे अपने हित ऐसे लोगों के हाथों में सौंप दें जो पूरी तरह उनके हितों और आकाक्षाओं के विरोधी हैं, जो अछूतों की जीवंतता के प्रति सहानुभूति नहीं रखते, जिनकी उनके प्रति कोई रूचि और मनोभावना नहीं है, जो उनकी अपेक्षाओं से खार खाते हैं, वे निश्चित रूप से उनके साथ न्याय नहीं करेंगे। उनसे भेद – भाव बरतेंगे और वे आज तक अपने धर्मादेशों के अनुसार अछूतों के विरूद्ध दुर्व्यवहार के प्रति लज्जा महसूस नहीं करते बल्कि कदम कदम पर अमानवीय बर्ताव करते हैं। ऐसे लोगों से सुरक्षा का एक ही उपाय है। राजनीतिक अधिकार – जिनकी मांग है कि अछूतों को हिन्दू बहुसंख्यकों के अत्याचारों से बचाने के लिए संविधान में स्पष्ट व्याख्या की जाए। क्या सुरक्षा की ये मांग बेतुकी हैं ?

साभार–
बाबा साहेब डा. अम्बेडकर
संपूर्ण वाङ्मय
खंड 17 पेज 25–27

बौद्धकालीन ब्राह्मणवादी शासन व्यवस्था

सिर्फ कहने के लिए बौद्धकालीन राज्यों में 16 में राजतंत्रात्मक तथा 32 में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी किंतु असल में बौद्धकाल शुद्ध सामंत (बर्बर) काल था। यहां सामंत राजा की आज्ञा ही कानून थी, पुरोहित, निजी सचिव ब्राह्मण और गुप्तचर ब्राह्मण की सही–गलत रिपोर्ट ही उसकी दृष्टि का अपराधी होता था। असल में सिंधु गणराज्यों के पतन के बाद से यानी कि ईसापूर्व 3000 से ईसा पूर्व सन् 1600 ई. तक इस देश में केवल सामंती शासन ही रहा है। और सामंती राज्य के मायने हैं आर्य (ब्राह्मणवादी) राज्य यानी की यमराज यानी की शोषण! शोषण! और सिर्फ शोषण! यह काल जड़ता काल था, पत्थर और पत्थर का काल था यहां न दया, न धर्म, न पुण्य, न प्रताप, न उदारता। यहां था तो सिर्फ लूट और भोग।

बौद्धकालीन राज्य घोर धार्मिक राज्य था। राज्यों का स्वरूप धर्मतंत्री था। धर्मनिर्पेक्ष कतई नहीं। राज्य में पुरोहित धर्मगुरू होता था। धर्मगुरू ब्राह्मण होता था, और धर्मगुरू ही राज्य का स्वामी होता था। धर्म चाहे जो भी हो–पुरोहित सिर्फ ब्राह्मण होता था। बौद्ध काल में सारे राजा क्षत्रीय और पुरोहित–ब्राह्मण। और पुरोहित ही सलाहकार–सचिव–गुप्तचर आदि धर्मनिगड़ित राज्य में राजा धर्मगुरूओं का आज्ञबद्ध नौकर होता है, राजा संप्रदाय का अनुचर भी होता है। जैसे आठवीं और नवीं शताब्दी में यूरोप के राजा हुआ करते थे। गौतमधर्म सूत्र, मनुस्मृति, पाराशर, पुराण, स्मृतियों एवं समस्त धार्मिक काली पोथियों में धार्मिक संविधान हैं। राजा के लिए धार्मिक किताबें ही संविधान थीं। इनके अनुसार राजा का शासन केवल निरीह पूजा के लिए होता था। पुरोहित, पुजारी और ब्राह्मण के लिए नहीं। पुरोहित सजा मुक्त था। भले ही वह फांसी की सजा किए हो। यही नहीं राजा को जब पुरोहित तिलक लगाता था तो राजतिलक लगाने के पश्चात दूब के डंडे से पांच डंडे मारता भी था। जिसका मतलब होता था कि पुरोहित की मार सदा याद रखना और ब्राह्मण वर्ग पर कभी हाथ नहीं उठाना। ऐतरेय ब्राह्मण में कहा है कि राजा ब्राह्मण की सहायता नहीं लेता है तो देवता उसके हवन को स्वीकार नहीं करेंगे। और राजा को लोक–परलोक का भय दिखाकर मूर्ख बनाते रहते थे और मौज लूटते रहते थे। ऋग्वेद में कहा गया है कि जो राजा अपने पुरोहित का सम्मान करता है। वह अपने शत्रुओं पर जय और प्रज्ञा की राजनिष्ठा प्राप्त करता है। इससे स्पष्ट है कि ब्राह्मणकाल के अंत तक (100 ई.पू.) ब्राह्मण पुरोहित राजा पर भारी रहा, पूर्णतया हावी रहा।

राजा के गुणों की चर्चा भी की गई है। पुरोहित ईश्वर का प्रतिरूप और राजा पुरोहित का चेला होता था और उस चेले (राजा) में क्या–क्या गुण होने चाहिए, यह भी निर्धारित था। स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र– ये सात अंग राजा के लिए ईश्वर ने उपलब्ध कराए हैं। इसे प्रकृति संपदाएं कहते हैं। राजा के 16 अभिगामिक गुण हैं–1. उच्च उच्चतर कुल में उत्पन्न हों, 2. क्षत्रीय हो। 3. दैवसंपन्न हो, 4. धार्मिक सत्त्व सम्पन्न, 5. धर्मात्मा, 6. वृद्धदर्शी, 7. कृतज्ञ, 8. स्थूललक्ष, 9. असाधारण उत्साही, 10. निरालस्य, 11. शक्यसामंत, 12. ब्राह्मणविश्वासी, 13. वेद–वेदांग में रूचि, 14. दान प्रवृत्ति, 15. अक्षुद्रपरिषतक, 16. अनास्तिक। राजा के और आठ प्रज्ञागुण हैं– शुश्रूषा, श्रवण, ग्रहण, धारण, विज्ञान, ऊह, अपोह और तत्वाभिनिवेश। राजा में चार और उत्साह गुण हैं–1. शौर्य, 2. अमर्ष, 3. शीघ्रता, 4. दाक्ष्य। इनके अतिरिक्त राजा के आत्मसंपद हैं–वाग्मी, प्रगल्भ, स्मृतिमान, मतिमान, बलवान, उदग्र, स्ववग्रह, कृतशिल्प, व्यसन के समय दंडनीय, उपकारोपकार–निपुण, धीमान, दुर्भिक्ष–सुभिक्ष के समय वितरण में निपुण, गुप्तचरों पर दृष्टि रखने वाला, सेना नियुक्ति में देशकाल और पुरूषार्थ के अनुसार कार्यदक्ष, सन्धि, विक्रय, त्याग–संयम–पण एवं परिच्छद की स्थिति में उचित कार्य करने में समर्थ, काम, क्रोध, मोह, चापल्य–स्तंभ–उपताप आदि से रहित प्रियभाषी, हंसमुख और वृद्धोपदेश से चलने वाला हो।

बुद्ध काल में भारत की मूलनिवासी–दलित–शूद्र जातियों ने इसलिए बौद्ध धर्म अपना लिया कि राजा बौद्धधर्मी होगा तो हिंसा रूकेगी पर हुआ उल्टा। बौद्ध राजा भी ब्राह्मणों के गुलाम थे और ब्राह्मण लगातार शूद्रों पर आक्रमण करते कराते रहे कि वे इनके साथ नहीं है। बौद्ध काल में शूद्र दोहरा शोषण, हिंसा, हत्या एवं अन्याय के शिकार थे। हिंदू राजा राज्य को ब्रह्मा की देन, राजा को ब्रह्मा की देन तथा स्वयं को ब्रह्मा का प्रतिरूप मानते थे। पिस रही थी शूद्र जनता। राजा नित्य राज–काज, जनता के दुख–दर्द की ओर से आंखें फेरकर यज्ञ–हवन–जुआ, शराब एवं पुरोहित को खुश करने में लगा रहता था, उसे यह अहसास करा दिया जाता था कि राजा को राजपद तो ब्राह्मण के यज्ञ–हवन के परिणाम से आशीर्वाद स्वरूप ही मिला हुआ है, उसकी अपनी शक्ति से नहीं।

राजा पर नियंत्रण रखने के लिए अनेक व्यवधान थे अमात्य मंडल, राज्यभिषेक के समय की गई प्रतिज्ञा, सभा समिति, संस्कार और शिक्षा मंत्रिमंडल, पर स्वामी यानी कि पुरोहित धर्म सब पर भारी पड़ता था। शुक्रनीति 4/1/3 में कहा गया है कि जनता अत्याचारी राजा को चेतावनी दे कि तुम अपना व्यवहार नहीं बदलते तो राज्य छोड़कर अन्यत्र चले जाओ। पर राजा पुरोहित की ही आज्ञा मानता था और विद्रोही को फांसी पर लटका दिया जाता था। यदि शूद्र हो तो तनिक भी देरी किए बिना फांसी।

महाभारत–13/86/35/6 में लिखा है कि अत्याचारी राजा को फांसी दी जानी चाहिए किंतु यह भी सब पुरोहित की मर्जी पर निर्भर करता है। तमाम जातकों में अत्याचारी राजाओं के खिलाफ आवाज उठाने और दंड देने की बात कही गई है। किंतु एक भी ऐसा उद्धरण नहीं मिलता, जो किसी जनता के द्वारा प्रताड़ित व दंडित किया गया हो। राजा चूंकि धर्म का गुलाम होता था, इसलिए वह सम्यक् दृष्ट दंड कभी नहीं अपना पाता था जबकि स्मृति में कहा गया है कि दंड समस्त प्रजाओं पर शासन करता है। जब सब लोग सोते हैं, तब दंड उनका रक्षण करता है।

जैसा राजा वैसी प्रजा। राजा जब चोर होगा। प्रजा चोरी क्यों नहीं करेगी, झूठी और बेईमान क्यों नहीं होगी। जब राजा क्षत्रीय होगा तो सलाहकार ब्राह्मण ही होगा और ब्राह्मण हर रामों को शूद्र शंबूकों की हत्या कराएगा। शिक्षा, सम्पत्ति पर रोक लगवाएगा और शूद्रों की गर्दन कटवाएगा। पुरोहित व अमात्य मंडलों के द्वारा राज्य की दिनचर्या निर्धारित की जाती थी किंतु उसे पुरोहित की सहायता से अपनी दिनचर्या में परिवर्तन का पूरा हक था। पुरोहित को अपने अनुसार राजा को चलाने का पूरा हक था अर्थात राजा तो मात्र बालक था। पुरोहित की उंगली पकड़ कर चलता था। पुरोहित कहता उसे मार दो तो वह मार देता। पुरोहित कहता उसे फांसी दे दो, राजा उसे फांसी दे देता। पुरोहित का मतलब होता है कुटिल कुत्ता।

बौद्धकाल में क्षत्रीय राजा के कर्तव्य थे–1. वेदादि सच्छास्त्रों का अध्ययन, 2. यजन, 3. दान, 4. शस्त्रजीवन, 5. भूत रक्षण। इनके अतिरिक्त इन विद्याओं का ज्ञान होना निवार्य था 1. त्रयी–तीनों वेद, 2. गीताज्ञान– महाभारत–रामायण, 3. स्मृति ज्ञान–स्मृतियों का ज्ञान 4. पंचशील, 5. बुद्धचर्या 6. आन्वीक्षिकी, 7. वार्ता, 8. दंडनीति, 9. इतिहास के अंतर्गत–हिंदू–बौद्ध पुराण–मिथक–इतिवृत्त–आख्यायिका जिसमें धर्मार्थ का समावेश होता था। इनके अतिरिक्त धर्मगुरू का शिष्यत्त्व।

बौद्धकाल में राजा को यह भी आदेशित था कि निम्नलिखित का पालन करे और ज्ञाता हो–1. शीलवान–हो और शील से पेश आए 2. नियमबद्धता–राजा की दिनचर्या में यह शामिल होनी चाहिए पर राजा कभी बंधा हुआ नहीं होता, उसकी नकेल होती ही नहीं थी। भला बंधता कैसे। 3. इंद्रिय दमन–राजा पद पाकर विलासी हो जाता, वह इंद्रिय दमन नहीं वीर्य स्खलन को ही अपनी दिनचर्या व बना लेता। 4. वृद्धसेवित–राजा पुरोहित समाज की ही सेवा में लगातार रत रहता और उन्हें ही वृद्ध, गुरु, माता–पिता–अराध्य देव समझता। माता–पिता को कैदखाने में कैद कराकर ऐश करता। 5. विद्या (धर्मग्रंथों का अध्ययन) जो वह कभी जानता ही नहीं था कि क्या होता है और उसे जानने की जरूरत भी क्या थी। उसके लिए विद्या के आगर तो ब्राह्मण ही थे। 6. लेख–राजकीय पत्रादि के लिखने की कला। बौद्ध काल के अजात, प्रसेनजित आदि जैसे दस राजाओं को छोड़कर किसी को कुछ आता ही नहीं था। 7. रूप–सिक्कों की कला जो शायद किसी राजा को नहीं आती थी। 8. गणना–हिसाब–किताब–यह एक आवश्यक अंग था पर यह कार्य अमात्य करते थे। राजना नहीं 9. व्यवहार–न्यायादि करने का ढंग। न्यायालय के नियम आदि। इनके लिए अमात्य मंडल था। राजा के लिए यह आवश्यक अंग था किंतु राजा इसे जानने की कोशिश नहीं करता था। बौद्ध काल में पुरोहित का आदेश ही कानून था। इसलिए बौद्धकाल किसी शूद्र, शोषित, पीड़ित के साथ कभी न्याय नहीं हुआ। जिधर न्याय उधर विकास। शूद्रों के साथ हर समय में अन्याय ही हुआ है, अतः विकास कभी नहीं हो पाया। 10. विधि राजनियम–राजनियम राजा को जानना चाहिए पर ये नियम पुरोहित और अमात्य जानते थे इसीलिए राजा इनके हाथों की कठपुतली हुआ करता था। राजा युवराजों से भी दुष्ट हुआ करता था, इसकी नकेल जनता नहीं पुरोहित थे।

दिनचर्या–बौद्ध काल में समय का निर्धारण पुरूष की, पेड़ की, अथवा खंभे की परछाई के द्वारा समय का निर्धारण होता था। 24 घंटे को तब चौबीस घड़ी कहते थे। दिन और रात को आठ–आठ घड़ियों में बांटा गया था। घड़ी को पहर में बांटा गया था। डेढ़ घण्टे बराबर एक पहर होता था। कुल 24 घण्टे में 16 पहर की दिनचर्या देखिए–

(क) दिन के पहर

1. प्रथम पहर – राजा को दिन के आय–व्यय की जांच एवं रक्षा संबंधी कार्यों का निरीक्षण करना चाहिए। पर यह कार्य अमात्य किया करते थे।

2. द्वितीय पहर – पुरवासियों तथा जनपद वासियों के कार्यों का निरीक्षण करना चाहिए। यह अमात्य एवं पुरोहित का निर्देश था। राजा निधिकर था।

3. तीसरा पहर– स्नान, भोजन और स्वास्थ्य

4. चौथा पहर– बीते हुए दिन की अवशिष्ट आमदनी को सम्हालना चाहिए, कोष की समृद्धि पर विचार व अधिकार नियुक्ति।

5. पांचवां पहर– मंत्रिपरिषद के साथ शासनिक कार्यों पर विचार–विमर्श करना चाहिए। गुप्तचरों की रिपोर्ट एवं कार्यों की समीक्षा की जानी चाहिए।

6. स्वच्छंद विचरण– मौजमस्ती

7. हाथी–घोड़े–रथ आदि अस्त्र–शस्त्र निरीक्षण– क्रय–विक्रया या नियुक्ति।

8. आठवां पहर– सेनापति से विचार एवं संध्या वंदन, पूजा उपासना।

(ख) रात्रि का पहर

1. प्रथम पहर– गुप्तचरों पर नजर– रिर्पोट–संदेश

2. द्वितीय पहर– स्नान, भोजन एवं स्वाध्याय करना चाहिए।

3. तृतीय पहर– संगीत सुनते हुए सोना चाहिए–चैन की नींद।

4. चौथा पहर–गहरी नींद में सोए रहना।

5. पांचवां पहर–गहरी निद्रा में बेरोक–टोक सोते रहना चाहए।

6. छठा पहर– संगीत की धुन पर उठना और नित्यकर्मविधि–आचमन

7. गुप्त मंत्रणा कर गुप्त स्थानों पर रिपोर्ट हेतु भेजना।

8. अंतिम पहर में पुरोहित से विचार–विमर्श व सलाह लेनी चाहिए।

इस प्रकार से स्पष्ट है कि राजा की दिनचर्या में आम जनता गायब है। उसके सब दुख, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजी–रोटी कहीं नहीं है। न्याय मत्स्य न्याय था। कृषि कर्म व भूमि विधान सामंतो के हाथो में था। बौद्धकाल के राजाओं की जनता विपत्ति की मारी थी। राजा की आमजनता की समस्याओं से कभी अवगत ही नहीं हो पाता था। कौटिल्य ने परामर्श दिया है कि राजा आचार्य एवं पुरोहित के साथ मिलकर यज्ञशाला में उपस्थित होकर विद्वानों व तपस्वियों के कार्यों का अवलोकन करें जो कभी नहीं करता था।

भारतीय संस्कृति में राजा की दिनचर्या को इस प्रकार क्रमबद्ध किया है–

(क) दिवसचर्या

प्रातः 1–6 बजे से 7.30 बजे तक–सोना व कोष निरीक्षण

2–7.30–9 बजे तक–पौर जनपद के कार्य का निरीक्षण

3–9 बजे से 10.30 तक– स्नान संध्या–भोजन–अध्ययन

4–10.30 बजे से 12 बजे तक–अध्यक्षों से कर वसूली

दोपहर–5–12 बजे से 1.30 तक–अनुपस्थित मंत्रियों से पत्रव्यवहार

6–1.30 बजे से 3 बजे तक–मनोरंजन–आत्मचिंतन

7–3 बजे से 4.30 बजे तक–हाथी–घोड़े, रथ पदाति का निरीक्षण

सायं–8–4.30 बजे से 6 तक–सेनापति से विचार विनिमय व सायं संध्या यज्ञ–हवन, पूजा, आराधन।

(ख) रात्रिचर्या

1. 6 बजे से 7.30 बजे तक–गुप्तचरों से मुलाकात
2. 7.30 बजे से 9 बजे तक–स्नान, भोजन, अध्ययन
3. ....
4. 9 बजे से 1.30 बजे तक–शयन
5. ....
6. 1.30 बजे से बजे तक–जागना, धर्मशास्त्रों के नियम व दैनिक जीवन का चिंतन करना।
7. 3 बजे से 4.30 बजे तक–मन्त्रिमंडल की बैठक व गुप्तचरों को नियत स्थानों पर काम के लिए भेजना।
8. 4.30 बजे से 6 बजे तक–पुरोहित, गुरु आदि से आशीर्वाद लेना, वैद्यक, पाचक, ज्योतिषी से सलाह।

सवत्सा गाय की प्रदक्षिणा कर राजसभा में प्रवेश।

(ग) अठारह तीर्थ

राजाओं के लिए तीर्थों की चर्चा की गई है और कहा गया है कि राजा को सदैव तीर्थों में गोते लगाते रहना चाहिए। फिर भी राजा अपने अमात्यों एवं युवराजों से पीड़ित रहा करते थे। ये अठारह तीर्थ हैं–1. पुरोहित, 3. धर्म, 3. मंत्री, 4. चमूपति, 5. द्वारपाल, 6. अंतरवेणिक, 7. कारागाराधिकारी, 8. द्रव्य संचयकृत, 9. प्रदेष्टा, 10. नगराध्यक्ष, 11. कार्यनिर्माणकृत, 12. धर्माध्यक्ष, 13. दंडपाल, 14. राष्टांतपाल, 15. अटवीपाल, 16. यज्ञ, 17. प्रशास्ता, 18. सन्निधाता। बौद्धकालीन राजा इनमें से पुरेहित, धर्म, यज्ञ, प्रशास्ता, धर्माध्यक्ष एवं द्रव्य–कोष को ही अपना तीर्थ समझता था।

ईश्वर प्रदत्त शासन व्यवस्था

बौद्धकाल की शासन व्यवस्था पूर्णतया ईश्वर प्रदत्त थी। बुद्ध स्वयं वेद–पुराणों की समीक्षा करते–करते पौराणिक बन गए थे। राजा ईश्वर का अंश था। वह स्वयं ईश्वर के रूप में शासन करता था। मनुस्मृति में कहा गया है कि राजा नर रूप में देवता ही है। शुक्रस्मृति में राजा की तुलना इंद्र, वायु, रवि, यम, अग्नि, कुबेर आदि देवताओं से की गई है। नारद स्मृति में भी राजा को ईश्वर अंश अविनाशी कहा है।

क्रम.	**शासन विधान**	**पदवी**	**स्थान निर्देश**
1.	साम्राज्य	सम्राट	पूर्व
2.	भौज्य	भोज	दक्षिण
3.	स्वाराज्य	स्वराट	पश्चिम
4.	वैराज्य	विराट	उत्तर, मद्र, उत्तर कुरु
5.	राज्य	राट्	कुरु–पांचाल
6.	पारमेष्ट्य		
7.	माहाराज्य		कुरु–पांचाल से
8.	आधिपत्य (स्वावश्य)		उत्तर की ओर समस्त

बौद्धकाल के राजा वैदिक राजाओं की ही तरह अनुशासनहीन एवं तानाशाह थे। शूद्रों, कमकरों–शिल्पियों, वर्ण, जाति एवं क्षेत्रीयता की जो स्थिति अन्य कालों में थी, बौद्ध काल में कहीं उससे बढ़कर थी। यहां भी सिर्फ राजधर्म का ही पालन होता था, लोकधर्म का नहीं। बल्कि ऐशोआराम के लिए कर के रूप में जनता का अनावश्यक तरीके से खून चूसा जाता था। राजधर्म ये था–

1. दुष्टों का दमन–पर सही दुष्ट कौन? राजा कभी जानने की कोशिश न करता।
2. प्रजापालन–अमात्य, पुरोहित्य, पंडित और यज्ञ कर्म ही प्रधान था।
3. यज्ञसंपादन–वर्ष भर में धार्मिक क्रिया–कलापों में लगे रहते।
4. न्यास से कोष–वृद्धि–जनता कोड़े खाती, सामंत कर ही नहीं देते।
5. राजाओं (मंडलाधिकारियों) को करदाता बनाना–कभी नहीं हो पाता।
6. शत्रुओं का मर्दन–विलासी राजा अक्सर हारा करते थे।
7. दान देना–ब्राह्मण–पुरोहित–यज्ञ–हवन में ही कोष लुट जाता था।
8. भूमि का विस्तार–युद्ध अक्सर भूमि (राज्य) विस्तार के लिए नहीं बल्कि स्त्री के लिए ही हुआ करते थे। यथा राम–रावण का युद्ध स्त्री एवं भूमि विस्तार दोनों के लिए था। राम एक कुशल भूमि विस्तारक था। उसने पहले सीता को रावण को ले जाने का अवसर दिया और जब सीता रावण के पास चली गई। अपनी कामेच्छा से तो राम ने स्त्री का बहाना बनाकर भूमि विस्तार हेतु रावण पर चढ़ाई कर दी।

बौद्ध काल में शूद्र हीन, असक्त और दरिद्र कैसे हुआ? बौद्धशासन काल की शूद्र–शिल्पी–कमकारों की स्थिति

क्रम विभाग	**शूद्र–शिल्पी–कमगर**	**वैश्य**	**क्षत्रीय**	**ब्राह्मण**
1. राजा–राजधिराज	02%	05%	90%	03%
2. सचिव–सलाहकार	00%	00%	02%	98%
3. सभासद	05	10	30%	55%
4. अमात्य	02	08	25%	65%
5. प्रधान अधिकारी	02	05	27%	66%
6. शलाकाग्राहक	00	04	08%	88%
7. रक्षक–सेनापति	02	08	40%	50%
8. सिपाही–कमांडर–कर्नल	03	05	50%	42%
9. न्यायाधीश	00	02	13%	85%
10. दंडाधिकारी	01	04	20%	75%
11. संस्कृति मंत्री	00	00	02%	98%
12. कोषाध्यक्ष	02	10	33%	55%
13. ज्योतिषी	00	00	02%	98%
14. वेश्यावृत्ति	20	25	30%	25%
15. दास–गुलाम	41	20	25%	14%
16. शिक्षालय किसके?निजी	00	25	40%	35%
17. शिक्षक	00	02	03	95%
18. शिक्षा पाठ्यक्रम–विषय	विकासात्मक	बौद्ध	वैदिक	अन्य
	5%	20%	75%	00
19. धर्म	बौद्ध	हिंदू	जैन	अन्य
	40%	40%	10%	10%
20. धर्मदूत	00%	02%	08%	90%
21. हथियार	ब्राह्मण 10%	क्षत्रीय–30%	ब्राह्मण	
	राजा 60%	क्षत्रीय नियंत्रणकर्ता		
22. वाहन–बैलगाड़ी–घोड़ा, हाथी, ऊंट	02%	05%	23%	70%
23. आभूषण–सोना–चांदी	00%	04%	40%	56%
24. युवराज	00%	02%	06%	35%
25. टैक्स अधिकारी	04%	06%	70%	20%
26. बौद्ध मठाधीश	02%	06%	15%	77%
27. पुरोहित	00%	00%	05%	95%
28. धर्माध्यक्ष	00%	00%	08%	92%
29. भूमि/जल	05%	20%	70%	5%
30. आर्थिक उत्पादन से साधन	02%	25%	65%	8%
31. राजनीति–सत्ता	01%	10%	40%	49%
32. अन्य	10%	15%	30%	45%

उपरोक्त सारणी से बौद्धकाल की शूद्रवर्गीय स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। खुद बुद्ध ने अपने जीवनकाल में सिवाय भाषण (प्रवचन) के कुछ नहीं किया है। जैसे आज आसाराम बापू, संतज्ञानेश्वर (सेक्स स्कैंडल में मौत), संत मोरारी बापू, निर्मला देवी आदि करते हैं। 'करति रहति उपदेश तिय ऐसा परम विचित्र' बुद्ध ने अपने धर्म के प्रसार के लिए राजाओं (सामंतों) का इस्तेमाल किया और सामंतों ने अपने राज के लिए बुद्ध का। बुद्धकाल में एक सुराध्यक्ष शराब का अध्यक्ष (मंत्री) होता था जो राजा में शराब की व्यवस्था करता था, एक गोध्यक्ष–गाय का मंत्री होता था, जो देश की गायों की व्यवस्था उनके खान–पान और झोपड़ी की व्यवस्था करता था। एक 'धर्माध्यक्ष' धर्ममंत्री हुआ करता था, जो समस्त धार्मिक कर्मकांडों की व्यवस्था करता था, किंतु बौद्धकाल में शूद्रों एवं दासों की दशा एकदम बद से बदतर थी। इनके लिए रोटी, कपड़ा, मकान, सेवा–सुरक्षा, सम्मान की व्यवस्था पशुओं से भी हीन थी, इनकी समस्त जिंदगी में सिर्फ उत्पीड़न और आंसू ही थे, इनके लिए किसी भी गणराज्य अथवा तानाशाही राज्यों में किसी भी प्रकार की कोई भी व्यवस्था नहीं थी। इनके लिए व्यवस्था थी तो सिर्फ शोषण की।

राज्य शासन व्यवस्था इस प्रकार थी–**1. राजा**– स्वयं अपनी भुजाओं के बल पर बनता था। **2. उपरिक महाराज**– इनकी नियुक्ति सम्राट करता था। **3. अमात्य** – सम्राट तथा उपरिक करते थे। **4. विषपपति**– इनकी नियुक्ति उपरिक करते थे। विषपति जिला कलेक्टरों की सहायता करते थे। **5. नगर श्रेष्ठ**–बैंकर होता था, **6. सार्थवाह**– मुख्यवणिक। **7. प्रथम कुलिक**– शिल्प श्रेणियों के प्रमुख– **8. प्रथम कायस्थ**– प्रमुख सचित होते थे, **9. अधिष्ठ**– विषयपतियों का कार्यालय (जिलाइकाई)। **10. अधिकरण**– (कार्यालय–कचहरी)।

क. प्रत्येक दल (ग्राम दल) में एक दुर्ग (बस्ती) होता।

ख. 10 ग्रामों के दल को खार्वटिक कहा जाता था।

ग. 200 ग्रामों के दल को द्रोणमुख कहा जाता था।

घ. 400 ग्रामों के दल को द्रोणमुख कहा जाता था।

ङ 800 ग्रामों के दल को स्थानीय कहा जाता था।

च. 800 ग्रामों के मध्य एक स्थानीय (थाना) होता था

11. पुस्तपाल–लेखपाल–भूमि का क्रय–विक्रय तथा हस्तांतरण करने वाले।
12. सामंत–100 ग्रामों के स्वामी को सामंत कहते थे।
13. अनुसामंत–100 ग्रामों पर राजा द्वारा नियुक्त अधिकारी।
14. नायक–10 ग्रामों का अधिकारी (सेक्रेटरी) होता था।
15. सन्निधाता–अन्न जल जंगल, निर्माण कार्य का निरीक्षण करने वाले तथा मार्ग, पशु आदि की व्यवस्था करने वाले को कहते हैं।
16. जमाहर्ता– राज्य को चार जनपदों में बांटना तथा ग्रामों को तीन श्रेणियों में बांटना और उसकी सुचारू व्यवस्था करना।
17. गोप–5 या 10 ग्रामों का निरीक्षण कर्ता।
18. स्थानिक–स्त्री–पुरुष वृद्ध–युवा, करदाता, करयुक्त का विवरण प्रस्तुत तकरने वाला राज्य के चार जनपदों का एक विशेष अधिकारी।
19. अक्षपटलाध्यक्ष–गण कार्यालयों का निर्माण धर्म–न्याय, विधि, देश की रूढ़ि दुर्भिक्षों एवं संघों की तालिका का हिसाब रखना।
20. कोषाध्यक्ष–हीरे–मोती तथा मूल्यवान सामग्रियों की देखभाल करने वाला।
21. लोहाध्यक्ष– धातु पारखी, ताम्र, बरतन, भांड आदि का निर्माण–निरीक्षण
22. लक्षणाध्यक्ष– जो टकसाल में सोने, चांदी, तांबे के सिक्के ढलवाता था।
23. रूपदर्शक– जो सिक्कों की परीक्षा करता था।
24. खन्याध्यक्ष– हीरे–मोती, शंख, सीपी आदि के व्यापारों का निरीक्षणकर्ता।
25. लवणाध्यक्ष– नमक आदि की व्यवस्था करने/बनवाने वाला अधिकारी
26. सुवर्णाध्यक्ष– सोने के तथा अन्य गहनों की व्यवस्था करने वाला।
27. भंडाराध्यक्ष– राजा की भूमि का अन्न प्राप्त कर, आकस्मिक राजस्व, चावल, तेल का अधिकारी/व्यवस्थापक।
28. पण्याध्यक्ष– व्यापारिक सामग्रियों की परख,

आवश्यकता एवं अभावग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण कर आवश्यकता की पूर्ति करना।

29. कूप्याध्यक्ष– वन के रक्षकों द्वारा वन सामग्री एकत्रित करना, लकड़ी, बांस, रेशे, रेशे वाले पौधे, औषधियां, पशुचर्म, विष आदि।

30. आयुधागाराध्यक्ष– आयुध आदि की व्यवस्था करने वाला।

31. शुल्काध्यक्ष– चुंगी, टैक्स, कपड़ा, व्यापार औषधि व्यापार का खजांची।

32. सीताध्यक्ष– कृषि विशेषज्ञ तथा वृक्षायुर्वेद से सहायता लेकर अन्न, फल–फूल, साक, कंद, कपास आदि की व्यवस्था करना तथा कृषि करना समस्त प्रकार के उत्पादन हेतु शिल्पियों, कमकरों, श्रमिकों, दासों के काम कराना।

33. मदिराध्यक्ष– मदिरा बनवाले व वितरण करवाने का अधिकारी।

34. सूनाध्यक्ष– मांस आदि भेद, बकरी, भैंसा आदि पशुओं की व्यवस्था करना।

35. गणिकाध्यक्ष– वेश्याओं की व्यवस्था करने वाला।

36. मुद्राध्यक्ष– देशी/परदेशी मुद्राओं की व्यवस्था करने वाला।

37. पौतवाध्यक्ष– 38, जलाध्यक्ष, 39 नावध्यक्ष, 40 अश्वाध्यक्ष।

41. गोध्यक्ष, 42. हस्त्यध्यक्ष, 43. जुआध्यक्ष, 44 क्षेत्रवधाध्यक्ष।

बौद्धकालीन ब्राह्मणवादी मंत्रिमंडल एवं शूद्र

बौद्धकालीन समस्त महाजनदों एवं गणराज्यों में ब्राह्मणवाद का प्रभुत्व था। कहीं से भी बौद्ध युग (जैसा कि बौद्ध विहारों में दर्शाया गया है) नहीं दीख पड़ता। नौकर तक तो ब्राह्मण होते। शूद्र सिर्फ उत्पादन तक सीमित थे। मंत्रिमंडल में ब्राह्मणवाद किस प्रकार हावी था, एक बानगी देखिए–

1. सम्राट– जन्मजात क्षत्रिय राजा या अन्य कोई आक्रमणकारी जो राजा बन गया हो या प्राचीन कोई दृढ़ शूद्र राजा।

2. सेनापति– सम्राट का कोई अतिनिकट संबंधी होता था।

3. युवराज– सम्राट का कोई निकट या रखैल पुत्र या भाई।

4. उपराजा– अतिनिकट संबंधी जैसे–चाचा, ताऊ, बेटा या साला।

5. पुरोहित– यह उपराजा ही था जो 80% राजा की भूमिका निभाता था।

वास्तव में ऐसे दस पुरोहित सलाहकार हुआ करते थे और राजा पुरोहित की बात टालने में असमर्थ हुआ करते थे। इसकी योग्यता थी– उच्चकुलोत्पन्न ब्राह्मण, वेदज्ञ, ज्योतिष ज्ञाता एवं कर्मकांडी। युद्ध को छोड़कर यह सदैव राजा के साथ चलने वाला जीव था। जाप–मंत्र इसकी जबान पर रहता था। एक प्रकार से यह पुरोहित राजा पर सदैव चिपके रहने और खून चूसते रहने वाला पिस्सू था।

6. प्रतिनिधि– राजा के बाद यह प्रमुख शासक था। राजा की अनुपस्थिति जैसे बीमारी, तकलीफ अथवा राजदूत, संधि आदि की जगह यह कार्य करता था। इसकी किसी बात की काट राजा नहीं कर सकते थे। इसकी योग्यता थी–अत्यंत विश्वासपात्र, निकट संबंधी, खून संबंध, साला, ससुर अथवा दामाद आदि।

7. प्रधान– इसको महामात्य, महाप्रधान, मंत्रीद्र या महामंत्री भी कहा जाता था। यह सेनाप्रमुख के समकक्ष था। इसके जिम्मे अश्व, गज, रथ, हाथी, राजकीय, गुप्तचर, अस्त्र–शस्त्र, युद्ध सामग्री, रणक्षेत्र नीति आदि थे। यह पद सदैव राजा के निकट संबंधी, ब्राह्मण अथवा क्षत्रीय को दिया जाता था।

8. सचिव–इसको सेनापति और बलाधिकृत भी कहते थे। यह पद सिर्फ ब्राह्मण अथवा क्षत्रीय को नसीब होता था। यह प्रमुख सलाहकार भी होता था। योग्यता थी– उच्च कुलोत्पन्न ब्राह्मण अथवा क्षत्रीय, ललित कलाओं का ज्ञाता, शूरवीर, तीव्र दृष्टि एवं स्पष्टवक्ता, स्मरण शक्ति वाला आदि। गणराज्य काल में एक से एक शूद्र योद्धा हुए पर उन्हें सदा बेड़ियों में जकड़कर कैदखाने में रखा गया, पशुओं की तरह बांधकर खिलाया और काम कराया गया।

9. मंत्री–ब्राह्मण अथवा क्षत्रीय। इसकी योग्यता थी–साम, दाम, दंड, भेद, कुनीति, छल–कपट और बदले की भावना के काम करने वाला राजा का चरण चाटक व कुत्ते की तरह दुम दिलाने वाला। कई ग्रंथों से इसे 'महासंधि विग्रहिक' कहा गया है। यह वैदेशिक कार्य भी करता था।

10. प्राड्विवाक (न्यायाधीश)– गणराज्य का न्यायाधीश। इसकी योग्यता थी–उच्च कुलोत्पन्न ब्राह्मण, लोक, नीति, वेद–ज्ञाता। राजा की अनुपस्थिति या राजा की सलाह पर न्याय करना। ऐसे में राजा कभी भी न्याय कर पाता था, राजा तो मुख्य न्यायाधीश मात्र था। न्यायाधीश तो ब्राह्मण ही होता था।

11. पंडित–इसकी योग्यता–ज्योतिष, कर्मकांड वेद, उपनिषद, महाभारत ज्ञान एवं ब्राह्मणकुलोत्पन्न। वास्तव में यह धर्माध्यक्ष था। यह राजा एवं राजपरिवार के सोने–खाने–पीने–उठने–बैठने, संभोग आदि समस्त प्रकार के मुहूर्त (कर्मकांड) अर्थात अंधविश्वास करता था। इसकी आज्ञा के बिना इसकी बीवी भी इसके कमरे में नहीं जा सकती थी। यह उपराजा ही था।

12. भांडागारिक– यह पद वैश्य कर सकता था। किंतु नब्बे प्रतिशत ब्राह्मण अथवा क्षत्रीय ही हुआ करते थे। यह वार्षिक आय–व्यय, अन्न–कोष भांडागारिक था। इसे संग्रहीता और समाहर्ता भी कहते थे। सुमंत भी कहा गया है। यह प्रमुख अंश था।

13. अमात्य–(अमात्य श्रेष्ठ) यह ब्राह्मण अथवा क्षत्रीय होता था। यह समस्त राज्यसम्पत्ति का लेखा–जोखा रखता था। ग्रामों, वनों, भूमि, जंगल आदि की समस्त संपत्तियों का ब्योरा रखता था। यह अमात्य मंत्री नहीं होता था। लेकिन मंत्री समान होता था।

14. दूत– यह सदैव ब्राह्मण ही होता था। उसकी योग्यता थी–परराष्ट्रों की जानकारी, जन्मजात ब्राह्मण, कूटनीति और वाक्पटुता आदि।

बौद्ध काल में दास और शूद्रों की दयनीय स्थिति देखकर ऐसा स्पष्ट है कि शूद्र वर्ग के लिए चाहे कोई भी काल हो, देश हो, परिस्थिति हो, सर्वत्र आग ही लगी थी। सबके लिए जहां दूध की नदिया बहती थीं, वहीं शूद्र वर्ग के लिए रक्त के आंसू रोने के लिए भी कुछ नहीं था।

संदर्भ एवं टिप्पणियां

1. मनुस्मृति–अध्याय–8 श्लोक–14
   दंड : शास्ति पूजा : सर्वा दंड एवाभिरक्षिति।
   दंड : सुप्तेषु जागर्ति दंड धर्म विदुर्बुधा।
2. डॉ. मणिशंकर प्रसाद–कौटिल्य के राजनीतिक एवं सामाजिक विचार,
   प्रकाशक, मोतीलाल, बनारसी, बैंगलो रोड, दिल्ली–110007
3. शिवदत्त ज्ञानी–भारतीय संस्कृति–राजकमल प्रकाशन, प्रा. लि. 1बीं नेताजी सुभाष मार्ग, नई दिल्ली–110002
4. मनु–मनुस्मृति–अध्याय 7 श्लोक 8
   प्राचीन इतिहास–सतीश चंद्र अग्रवाल
   कौलेश्वर राय–भारत का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास के. एम. एजेन्बीज, प्राइवेट लिमिटेड, 28 नेताजी सुभाष मार्ग, नई दिल्ली–2,
   डॉ. मदन मोहन सिंह– बुद्ध का तरीअ समाज और धर्म
5. पी.पी.काणे–धर्मशास्त्र का इतिहास, भाग–2
   प्राचीन भारतीय राजनैतिक संस्थाएं–डॉ. श्रीकांत पाठक
   भावदीप प्रकाशन, गुंजार घर, अयोध्या–फैजाबाद (उ.प्र.)
   डॉत्र कृष्णा श्रीवास्तव–पालिजातक
6. डॉ. पाठक–श्रीकांत–प्राचीन भारतीय राजनैतिक संस्थाएं–
   अष्ट दश पदाभिज्ञस्तद्र्भेदाष्ट सहस्त्रवित्
   आन्वीक्षिन्यादिकुशलः श्रुति स्मृति परायणः
   यथाशल्यं भिषक्कायायुद्धरेद् यन्त्रयुक्ताभिः
   प्राड्विवाकस्तथा शल्य युद्धरेद् व्यवहारतः।
7. महाभारत 12/13/35
   कामंदक नीतिसार–31/31
   नीतिवाक्यामृतम्–अध्याय–21 श्लोक 5

साभार :
शूद्रों का प्राचीनतम–इतिहास
पेज संख्या 303 से 316 तक
एस. के. पंजम

डॉ. भीम राव अम्बेडकर जयंती के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएँ ....
चन्द्र प्रकाश
परिवाद निरीक्षक
कानपुर मु० प्रखण्ड
मो० : 9450726358

डॉ. भीम राव अम्बेडकर जयंती के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएँ ....
सी. के. गौतम
डिप्टी कमिश्नर
खण्ड–25, जी.एस.टी. विभाग
लखनपुर, कानपुर

डॉ. भीम राव अम्बेडकर जयंती के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएँ ....
विजय गौतम
लेखाकार
कोषागार कानपुर नगर
मो० : 9696222033

डॉ. भीम राव अम्बेडकर जयंती के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएँ ....
अजय कुमार
लिपिक
कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर
मो० : 7905305856

डॉ. भीम राव अम्बेडकर जयंती के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएँ ....
सहाराम
प्रधान सहायक,
कार्यालय अपर श्रमायुक्त उ0प्र0
कानपुर क्षेत्र, सर्वोदय नगर, कानपुर
मो.: 9415893153

डॉ. भीम राव अम्बेडकर जयंती के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएँ ....
अरविन्द कुमार
प्रबन्धक उ० प्र० कॉपरेटिव बैंक लि०
शाखा डी. ए. वी. कालेज, कानपुर
मो० : 9956976995

डॉ. भीम राव अम्बेडकर जयंती के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएँ ....
नीतू जैसवार
भाषा अनुदेशक हिन्दी
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान महिला
लाल बंगला, कानपुर, मो.: 9838291001

डॉ. भीम राव अम्बेडकर जयंती के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएँ ....
रोशन लाल
फोरमैन सिविल इंजी. विभाग
हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर
मो० : 9839791024

डॉ. भीम राव अम्बेडकर जयंती के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएँ ....
हीरालाल संखवार
उप डाकपाल
एन एच रोड, पोस्ट ऑफिस नवीन गल्ला मंडी, नौबस्ता, कानपुर
मो.: 9450156854

डॉ. भीम राव अम्बेडकर जयंती के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएँ ....

आनन्द मोहन

संयुक्त आयुक्त
हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय, कानपुर

डॉ. भीम राव अम्बेडकर जयंती के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएँ ....

रामनरेश | महेन्द्र कुमार

महासचिव (आई.टी.सेवा) अध्यक्ष
एस.सी./एस.टी. एम्पलाइस वेलफेयर एसोसिएशन, आयकर विभाग, कानपुर
मो.: 7599101755

डॉ. भीम राव अम्बेडकर जयंती के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएँ ....

प्रताप सिंह

प्रशासनिक अधिकारी
मुख्य अभियंता कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, कानपुर
मो.: 9415430469

डॉ. भीम राव अम्बेडकर जयंती के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएँ ....

कमलेश कुमार

वरिष्ठ प्रबन्धक
उ.प्र. राज्य हथकरघा निगम, कानपुर

डॉ. भीम राव अम्बेडकर जयंती के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएँ ....

जगजीवन राम

मण्डलीय अध्यक्ष
मो.: 9450134953
अखिल भारतीय अनु. जाति जनजाति एवं बुद्धिष्ट
भारतीय जीवन बीमा निगम कर्मचारी कल्याण संघ

डॉ. भीम राव अम्बेडकर जयंती के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएँ ....

रामस्वरूप

प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय श्रमायुक्त जी.टी. रोड, कानपुर
उपाध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद कानपुर नगर
मो.: 8318468803

डॉ. भीम राव अम्बेडकर जयंती के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएँ ....

मेवालाल

सम्प्रेक्षक रा.क.स.प.कानपुर
वरिष्ठ उपाध्यक्ष
उ० प्र० फेडरेशन ऑफ मिनी. स्टाफ एसो० कानपुर
जोनल अध्यक्ष मिनिस्ट्रियल एसो० कानपुर

डॉ. भीम राव अम्बेडकर जयंती के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएँ ....

रामचरन

पम्प आपरेटर
कानपुर विकास प्राधिकरण
मो० : 9984251800

डॉ. भीम राव अम्बेडकर जयंती के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएँ ....

के. पी. वर्मा

उपायुक्त
हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय, कानपुर
मो० : 9415268129

डॉ. भीम राव अम्बेडकर जयंती के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएँ ....

जगदीश प्रसाद

कनिष्ठ सहायक
हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय, कानपुर
मो० 7388352445

डॉ. भीम राव अम्बेडकर जयंती के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएँ ....

कमलेश कुमार

प्रधान सहायक
हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर
मो० : 9005201853, 7007615951

डॉ. भीम राव अम्बेडकर जयंती के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएँ ....

धर्मेन्द्र कुमार

सेक्शन सुपरवाइजर (भर्ती) डाक विभाग
कार्यालय चीफ पोस्ट मास्टर जनरल उ0प्र0 सर्किल लखनऊ
मो० : 7376765479

डॉ. भीम राव अम्बेडकर जयंती के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएँ ....

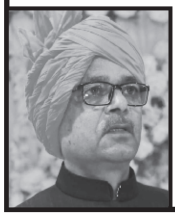

विपिन राव

उप महामंत्री (उ0प्र0)
बैंक ऑफ बड़ौदा, एम्पलाइज यूनियन
मो० : 9161844443

डॉ. भीम राव अम्बेडकर जयंती के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएँ ....

अजय कुमार

वरिष्ठ सहायक निर्माण खण्ड भवन
लोक निर्माण विभाग कानपुर नगर
मो० : 9936810721

डॉ. भीम राव अम्बेडकर जयंती के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएँ ....

लक्ष्मी नारायण

प्रशासनिक अधिकारी
प्रविधिक शिक्षा निर्देशालय उ० प्र० कानपुर
मो० : 9450152297

डॉ. भीम राव अम्बेडकर जयंती के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएँ ....

बी. के. दीपंकर

डिप्टी कमिश्नर
खण्ड–2, जी.एस.टी. विभाग
लखनपुर, कानपुर

डॉ. भीम राव अम्बेडकर जयंती के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएँ ....

रामसजीवन बौद्ध

145 ए भाग प्रथम राजेन्द्रपुरम
आवास–विकास, हंसपुरम् नौबस्ता
कानपुर नगर – 21

डॉ. भीम राव अम्बेडकर जयंती के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएँ ....

चन्दा गौतम

निजी सचिव
आयकर विभाग कानपुर उ० प्र०

डॉ. भीम राव अम्बेडकर जयंती के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएँ ....

राम खिलावन भारती

पूर्व जिला उपमंत्री
उ.प्र. लेखपाल संघ तहसील कानपुर सदर
पूर्व जिलाध्यक्ष दि बुद्धिष्ट सोसाइटीज ऑफ इंडिया शाखा कानपुर नगर

डॉ. भीम राव अम्बेडकर जयंती के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएँ ....

शैलेन्द्र कुमार

क्षेत्रीय महासचिव भा० जी. बी निगम
अनुसूचित जाति/जनजाति/बुद्धिष्ठ कर्मचारी एवं अधिकारी
कल्याण संघ कानपुर

डॉ. भीम राव अम्बेडकर जयंती के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएँ ....

संजय कुमार आर्य

डिप्टी कमिश्नर जी.एस.टी. विभाग
लखनऊ

डॉ. भीम राव अम्बेडकर जयंती के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएँ ....

रजनी मधु

ए–1376, आवास विकास,
हंसपुरम, नौबस्ता, कानपुर

डॉ. भीम राव अम्बेडकर जयंती के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएँ ....

सुशील कुमार

डिप्टी कमिश्नर जी.एस.टी. विभाग
उन्नाव, जिला उन्नाव (उ० प्र०)

डॉ. भीम राव अम्बेडकर जयंती के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएँ ....

प्रमोद कुमार

प्रशासनिक अधिकारी भा.जी.बी.नि.
कानपुर

डॉ. भीम राव अम्बेडकर जयंती के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएँ ....

रोहित

अधिशासी अभियन्ता
मध्य गंगा नहर निर्माण खंड 10
सिचांई एवं जल संसाधन विभाग, बुलन्दशहर

डॉ. भीम राव अम्बेडकर जयंती के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएँ ....

जगमोहन बामनिया

उप निदेशक श्रम विभाग
कानपुर (उ० प्र०)

डॉ. भीम राव अम्बेडकर जयंती के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएँ ....

विवेक कुमार भारती

वरिष्ठ सहायक
प्रविधिक शिक्षा निदेशालय उ० प्र० कानपुर

बोधिसत्व डॉ. भीमराव अम्बेडकर जयन्ती के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएँ ....

पंचशील प्रोडक्ट के तहत सीवेंज डिटर्जेंट पाउडर, फिनायल, ट्वालेट क्लीनर, फ्लोर क्लीनर, टेस्टी गोल्ड सब्जी मशाले आदि।

निर्माता

बबली गौतम

इं. कोमल सिंह दोहरे

बामसेफ मंडल अध्यक्ष कानपुर मंडल

''अखिल भारतीय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं बुद्धिस्ट भारतीय जीवन बीमा निगम कर्मचारी कल्याण संघ की ओर से सभी को संविधान निर्माता डॉ. बी. आर. अम्बेडकर जी के जन्मदिन की हार्दिक बधाईयाँ ''

''अखिल भारतीय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं बुद्धिस्ट भारतीय जीवन बीमा निगम कर्मचारी कल्याण संघ कानपुर' के तत्वावधान में 14 अप्रैल 2022 को सायं 5 बजे से नानाराव पार्क में पूर्व वर्षों की भांति बोधिसत्व भारतरत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मोत्सव मनाया जायेगा। कार्यक्रम का उद्घाटन निगम के उच्च अधिकारियों द्वारा किया जाएगा व संचालन कल्याण संघ के पदाधिकारियों द्वारा किया जाएगा। उक्त कार्यक्रम में सभी पदाधिकारियों– अखिल भारतीय सचिव विधि सी. एल. कुरील, क्षेत्रीय महासचिव हरिनाथ कुमार, सचिव प्रशासन विनोद कुमार, मंडलीय अध्यक्ष जगजीवन राम, कार्यकारी अध्यक्ष प्रमोद कुमार उपाध्यक्ष सुरेन्द्र कुमार गौतम, महासचिव संतोष कुमार, सचिव प्रशा. रघुनंदन प्रसाद, सचिव संगठन ललित कुमार सोनकर, स्वतंत्र कुमार, संतराम, रामअवध, योगेन्द्र कुमार, ओम प्रकाश कुरील, सतीश संखवार, अजय कुमार, राजेन्द्र प्रसाद की ओर से आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। कृपया अपनी गरिमामयी उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं।

संतोष कुमार (मंडलीय महासचिव)
मो.: 9140478182, 9415061899

सेवा में,

नाम ....

पता ....

....

....

डॉ. भीम राव अम्बेडकर जयंती के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएँ ....

रामेश्वर चौधरी

जिलाध्यक्ष बी.एस.पी.
कानपुर नगर
मो० : 6393914340

प्रसूति लाभ विधेयक

डा. भीमराव अम्बेडकर : महोदय! मैं इस विधेयक के प्रथम वाचन के समर्थन में बोल रहा हूं। ऐसा करते समय मैं इस विधेयक के विरुद्ध चर्चा के दौरान उठाए गए मुद्दों का उत्तर देना चाहता हूं। इस विधेयक के विरूद्ध माननीय सामान्य (जनरल) सदस्य ने सर्वप्रथम यह कहा है कि यह कोई दुर्घटना नहीं – ऐसी दुर्घटना – जिसका आशय हम कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम से लेते हैं। अतएव, कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम का सिद्धांत उन महिलाओं पर लागू नहीं किया जा सकता, जो इस विधेयक के अंतर्गत लाभान्वित होंगी। महोदय! मैं मानता हूं कि यह कोई दुर्घटना नहीं है। लेकिन इसका यह आशय नहीं है कि महिलाएं उन लाभों की हकदार नहीं हैं, जिन्हें इस प्रस्तावित विधेयक के माध्यम से उन्हें प्रदान किया जाएगा। यह विधेयक जिस सिद्धांत पर आधारित है, वह एकतरफा है। मुझे विश्वास है कि सभी सदस्य इस बात से पूर्णतया सहमत होंगे कि मां के लिए प्रसव–पूर्ण दशाएं तथा प्रसव के पश्चात बच्चों के लालन–पालन की समस्या विधेयक का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैं नहीं समझता कि कोई भी इस सिद्धांत के विरूद्ध होगा। महोदय! अतएव, मेरा यह विश्वास है कि यह राष्ट्रीय हित में होगा कि जच्चा को कुछ समय के लिए प्रसव के पूर्व और कुछ समय के लिए प्रसव के पश्चात विश्राम दिया जाए। विधेयक के सिद्धांत पूर्णतया इस तथ्य पर आधारित हैं।

महोदय! इसलिए मैं यह स्वीकार करता हूं कि इसकी अधिकांश जिम्मेदारी सरकार को ही निभानी होगी। मैं इस सच्चाई को स्वीकार इसलिए करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि सामान्य जनता के कल्याण की चिंता करना बुनियादी तौर से सरकार की जिम्मेदारी है। प्रत्येक देश में जहां प्रसूति लाभ दिए जाते हैं, वहां प्रसूति लाभ के लिए सरकार कुछ राशि व्यय करती है। महोदय! लेकिन ऐसा होते हुए भी मैं यह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं कि किसी महिला का कोई नियोक्ता प्रसूति की अवस्था में महिला के हितों की रक्षा के लिए अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरह मुक्त होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसका कारण यह है कि नियोक्ता महिला को किसी उद्योग विशेष में इसलिए काम पर लगाता है, क्योंकि उसको पुरुष की अपेक्षा महिला को काम पर लगाने से अधिक लाभ होता है। यह पुरूषों को काम पर लगाकर मिलने वाले लाभ की तुलना में महिलाओं को काम पर लगाकर अधिक मुनाफा अर्जित कर पाता है। इसी कारण यह कहना पूर्णतया उचित है कि इस प्रकार का लाभ प्रदान करने के लिए नियोक्ता की भी कुछ हद तक जिम्मेदारी बनती है, खासतौर पर उस समय जबकि उसे पुरूषों को काम पर लगाने पर मिलने वाले मुनाफे की तुलना में महिलाओं को रखने से अधिक लाभ होता है। अतएव, मेरा यह कहना है कि यद्यपि प्रसूति लाभ के मामले में निश्चित रूप से कुछ जिम्मेदारी सरकार को सौंपी गई है, तथापि मेरे विचार से यदि इन हालात में विधेयक में नियोक्ता को भी कुछ दायित्व सौंपा गया है, तो उससे विधेयक पूरी तरह गलत नहीं हो जाता। अतएव, इस कारण से मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

यह कहा गया है कि यह विधेयक केवल कारखानों पर लागू किया गया है, अन्य उद्योगों अथवा कृषिगत व्यवसायों पर नहीं। इसका जवाब बहुत सरल है। यह सिद्धांत उन उद्योगों पर लागू किया गया है, जहां के हालात महिलाओं के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। कृषि तथा अन्य व्यवसायों में महिलाओं को उन खतरों का सामना नहीं करना पड़ता अथवा वहां वे हालात नहीं हैं, जो फैक्टरियों में हैं और जो फैक्टरियों में काम करने वाली महिलाओं के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। इसी वजह से ऐसे विधेयक प्रायः केवल फैक्टरियों पर ही लागू किए जाते हैं। कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम के लिए भी यही बात कही जा सकती है। यह अधिनियम उन दुर्घटनाओं पर लागू होता है, जो श्रमिकों के साथ फैक्टरयों में काम करते समय घटती हैं। इसी कारण यह अधिनियम केवल फैक्टरियों पर लागू किया गया है, अन्य व्यवसायों पर नहीं।

माननीय सामान्य (जनरल) सदस्य ने उद्योगों पर इसका बोझ डालने के बारे में कहा है कि इससे मजदूरी की दरों में कमी आएगी। मैं यह नहीं सोचता कि इससे मजदूरी की दरों में कोई कमी आएगी। यदि ऐसा होता है भी, तो इसका तात्पर्य यह होगा कि उद्योगों पर पड़ने वाला बोझ कुछ हद तक दूसरी जगह स्थानांरित कर दिया जाएगा और माननीय सामान्य (जनरल) सदस्य को इसी आधार पर कोई आपत्ति नहीं होगी। यदि यह विधेयक पारित हो जाता है, तो मेरा यह कहना है कि यह बोझ संभवतया उपभोक्ताओं पर पड़ेगा और यदि यह बोझ उपभोक्ताओं पर पड़ता है, तो समाज को किसी उत्पादन के लिए अधिक कीमत चुकाने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ताकि उत्पादक को वस्तु के उत्पादन से लाभ पहुंचेगा।

इसके पश्चात यह कहा गया है कि इस विधेयक को बंबई प्रेसिडेंसी में ही लगाना न्यायपूर्ण नहीं है और इसे संपूर्ण भारत पर लागू किया जाना चाहिए तथा बंबई प्रेसिडेंसी को भी भारत के अन्य प्रांतों के समान समझा जाना चाहिए। महोदय! इस संबंध में मेरा यह कहना है कि मान लीजिए यह विधेयक संपूर्ण ब्रिटिश भारत पर लागू किया जाता है, तो किसी व्यक्ति को यह बात करने से कैसे रोका जा सकता है कि यह विधेयक केवल भारत पर क्यों लागू किया जा रहा है, अन्य देशों पर क्यों नहीं? विश्व के अन्य देशों की तुलना में 'भारत को अलाभकारी स्थिति में क्यों डाला जा रहा है और हमें इस स्थिति में उस समय तक प्रतीक्षा करनी चाहिए, जब तक कि संपूर्ण विश्व इस सिद्धांत को नहीं अपना लेता और ऐसा होने पर हम अन्य देशों के समान हो जाएंगे।' मेरे विचार में इस तर्क में कोई वजन नहीं है और मैं सोचता हूं कि इस विधेयक के माध्यम से सुझाए गए लाभ विधान–मंडल द्वारा उन गरीब महिलाओं को दिए जाने चाहिए, जो इस प्रेसिडेंसी में हमारी फैक्टरियों में कठिन परिश्रम करती है।

साभार :
बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर सम्पूर्ण वाङ्मय खण्ड–3, पृष्ठ संख्या 185 से 187 तक
डॉ. अम्बेडकर